तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/451) बअनवान मोहम्मद खॉ बनाम राज्य सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

मोहम्मद खॉ बनाम राज्य सरकार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 4

आदेश

दिनांक 24.01.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 184/2023 अनवान मोहम्मद खां बनाम सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 नवंबर 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने में भारी विधिक त्रुटि की गई है, क्योंकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1153/1(वर्तमान खसरा नं. 1658/1652, 1657/1652) पर काबिज काश्त है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि काबिज व काश्त व्यक्ति को किसी भी रूप में बेदखल नहीं किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कथन अखण्डित होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। अपीलांट के वादग्रस्त आराजी पर काबिज होने की पुष्टि मौका फर्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/451) बअनवान मोहम्मद खॉ बनाम राज्य सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 21.04.2011 एवं तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिसो से होती है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा मौके पर अपीलांट का मकान बना हुआ है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। न्याय हित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 नवंबर 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं ता-फैसला दावा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट के मकान को ध्वस्त न करे।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। कानूनन अतिक्रमी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं समझा गया है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को एकपक्षीय बहस के आधार पर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/451) बअनवान मोहम्मद खॉ बनाम राज्य सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जारी किया जाना न्यायोचित नहीं समझा है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थासन काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। अप्रार्थीगण की तामील उपरांत अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होते हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर